



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052023-245765
CG-DL-E-09052023-245765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/VAISAKHA 19, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सं. 05 /2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 348(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप-मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“बशर्ते और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं

पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 541(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

No. 05/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 348(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”

[F. No. -CBIC-190354/63/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 03/2022-Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 541(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सं 05/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे

सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“बशर्ते और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

No. 05/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”.

[F. No. -CBIC-190354/63/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification number 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 03/2022-Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 542(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सं. 05/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 350(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“बशर्ते और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

No. 05/2023-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”

[F. No. -CBIC-190354/63/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification number 11/2017 –Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 03/2022-Union Territory Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 543(E), dated the 13th July, 2022.